

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठसीन अधिकारी कैम्प कॉटे) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता डुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ~~...~~, भू अ0वि0 वृत्त ~~...~~ तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान में -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार राजस्थान में ~~...~~ तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2020 को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

प्र0सं0 :- 415/2021

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	दीरापुरी	136	दीक प्रती देवीनात गाडवी	दीरा प्रती देवीनात गाडवी



क्रमांक: सरिस्ता/5-11(415)2021

सहायक कलक्टर


(उपखण्ड अधिकारी)

राशमी

दिनांक :- 15/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~दीरापुरी देवीनात गाडवी~~ को सूचनार्थ।


 सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी